



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022021-225385
CG-DL-E-23022021-225385

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 766]

नई दिल्ली सोमवार, फरवरी 22, 2021/ फाल्गुन 3, 1942

No. 766]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2021/ PHALGUNA 3, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

का.आ. 834(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिला में दहानु ताल्लुका को पारिस्थितिकी नाजुक क्षेत्र के रूप में घोषणा के लिए का.आ.संख्या 416 (अ), तारीख 20 जून, 1991 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 6 में, "पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा योजना को अनुमोदित करवाना" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित करवाना" शब्द, रखे जाएंगे।

[फा. सं. 25/120/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 416(अ), तारीख 20 जून, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्याक का.आ. 1211(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2002 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गयी थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2021

S.O. 834(E).—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section(2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published *vide* number S.O. 416(E), dated the 20th June, 1991 for declaration of Dahanu Taluka, District Thane in the State of Maharashtra as an ecologically fragile area, namely:—

In the said notification, in paragraph 6, for the words, “*get the plan approved by the Ministry of Environment & Forests*”, the words “get the plan approved by the Competent Authority in the State Government for its effective implementation” shall be substituted.

[F. No. 25/120/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist “G”

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 416(E), dated the 20th June, 1991 and was last amended *vide* number S.O. 1211(E), dated the 18th November, 2002.